(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 05/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 258/20
थाना भखारा, अप.क.89/20
धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 भादसं

कुमार दत्त दुबे उम्र लगभग 59 वर्ष,
पिता स्व. श्री रामदत्त दुबे, निवासी
सेक्टर 03 गली नंबर 01 प्रोफेसर कालोनी,
थाना पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला
रायपुर, छ0ग0.....**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र भखारा,
जिला धमतरी, छ0ग0.....**अनावेदक/अभियोजन**

———————————————————————

05-11-2020

मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित थाने की संबंधित केसडायरी सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक /अभियुक्त द्वारा श्री रमेश कुमार तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री एस0के0रंगारी, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/ अभियुक्त द्वारा पेश जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया। डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रसं बल न देने के आधार पर निरस्त होना बताते हुये इस जमानत आवेदन को द्वितीय नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पिता हर्ष दुबे ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि कि उसे थाना भखारा के अपराध क्रमांक 89/20 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 भादसं में दिनांक 25.09.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। वह निर्दोष है। उसे तथा बैंक में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उक्त अपराध में मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बैंक द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत में घटना का समय दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 27.07.2012 के मध्य घटित होना उल्लेखित किया गया है। घटना के लगभग 08 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा लिखित शिकायत की गयी है। बैंकिंग की सामान्य प्रक्रिया है कि प्रतिदिन प्रत्येक शाखा अपने दैनिक हिसाब मिलान करता है। जिसकी जांच भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक बैंक शाखा का प्रत्येक तिमाही अवधि, छःमाही अवधि एवं वार्षिक अवधि पश्चात विभागीय अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैंक शाखा का केन्द्रीय शाखा द्वारा अंकेक्षण का कार्य किया जाता है तथा किसी बाहरी संस्था से भी प्रत्येक बैंक का अंकेक्षण का कार्य कराया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी बैंक शाखा में कोई गबन किया गया होता तो आवश्यक रूप से किसी न किसी अंकेक्षण में

पकड़ लिया जाता। आवेदक/ अभियुक्त वर्ष 2007 से 2016 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न पदों पर सेवारत कर्मचारी था। वह अपने बैंक संबंधी समस्त कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक संपूर्ण सेवाकाल अवधि में निर्वहन किया है। उसे बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये वार्षिक आमसभा में तत्कालिक गर्वनर महामहिम के.एम.सेठ द्वारा सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2012 से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की समस्त शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया है। मेन्यूअल रिकार्ड को कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा था। चूंकि बैंकिंग डाटा को अपलोड करने का कर्मचारियों को पर्याप्त एवं उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था इसलिए बहुत सारे मेन्युअल डाटा का कंप्यूटर में गलत शीर्ष में अपलोड हो गया था जिसके कारण बैंक के रकम में मिस मैच होकर रकम का मिलान नहीं होने की समस्या लगभग सभी बैंक शाखाओं में उत्पन्न हुयी थी जिसका धीरे धीरे सभी बैंक शाखाओं में मिलान किया जा रहा है किंतु आज दिनांक तक मिलान का कार्य नहीं किया जा सका है। इसलिए बैंक शाखाओं में रकम मिस मैच की समस्या आज दिनांक तक बनी हुयी है। बैंक द्वारा उक्त त्रुटि का उचित निराकरण नहीं करते हुये मात्र बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को जांच के नाम पर लगातार प्रताड़ित किये जाने से उसने क्षुब्ध होकर मान्नीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट पिटीशन प्रस्तुत किया गया था, बाद में बैंक द्वारा उक्त रकम मिस मैच की समस्या का शीघ्र उचित मिलान करने का आश्वासन प्रदान किये जाने पर उसने रिट पीटिशन को विथड्रा कर लिया था। वह 59 वषीर्य वृद्ध तथा मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, जिसे दिनांक 26.08.20 को कोरोना पाजिटिव हुआ था। उसके लगातार अभिरक्षा में निरूद्ध रहने से उसके जीवन को गंभीर सकट उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष जीवनयापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम

जमानत आवेदन पत्र तथा प्रकरण के सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है तथा प्रकरण के सह अभियुक्त को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अतः समानता के सिद्धांत के आधार पर उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जाये। कोविड 19 के चलते प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

डायरी के अनुसार प्रार्थी किशनचंद गोकुलपुर धमतरी के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 01.07.2007 से दिनांक 27.07.2012 तक जिला सहकारी बैंक कोर्रा के बैंक में पदस्थ बैंक आवेदक/ अभियुक्त मैनेजर कुमार दत्त, कैशियर राजकुमार साहू, भृत्य राम किशोर ध्रुव एवं झाडूराम साहू के द्वारा बैंक का अमानत बचत राशि को रेमिन्टेश रजिस्ट्रर आवक जावक में इन्द्राज करते थे किंतु एच0ओ0 मुख्यालय समायोजन रजिस्ट्रर में इन्द्राज नहीं करते थे। सीधा ग्राहकों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर कैश विथड्रावल कर ग्राहकों के लेजर खाता में इन्द्राज नहीं करते थे और चारों मिलकर बैंक के बचत अमानत राशि कुल 83,24,543रूपये को स्वयं गबन किये हैं तथा बैंक के लेजर बुक एवं समायोजन में बेमेल होना पाया गया तब इसके संबंध में जांच के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर छ0ग0 प्रधान कार्यालय के द्वारा 03 सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने से प्रथम चरण में आरोपियों के द्वारा कुल 23,77,799रूपये का गबन किये है और जांच के बाद आरोपियों के द्वारा कुल 19,90,653 को जमा किये

हैं तथा 3,87,146 रूपये जमा करना शेष है। इसी तरह द्वितीय चरण में भी आरोपियों ने कुल 59,46,744 रूपये का गबन किये जिसमें जांच के बाद कुल 3,64,832 रूपये को जमा किये है तथा 55,81,912रूपये को जमा करना शेष है। इस तरह आरोपियों के द्वारा कुल 83,24,543 रूपये का गबन किये हैं जिसमें कुल राशि 23,55,485 रूपये को जमा किये हैं। बैंक के द्वारा विभागीय जांच कर चारों आरोपियों को सेवा से पदच्युत किया गया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के द्वारा कुल 59,69,058रूपये राशि का गबन किये। प्रार्थी की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध थाना भखारा में अपराध क्रमांक 89/20, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 भादसं कायम कर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

जमानत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। यद्यपि सह अभियुक्त रामकिशोर ध्रुव का जमानत आवेदन एमसीआरसी नंबर 7004/2020 मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाना बताया गया है तथापि आवेदक/ अभियुक्त इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हैं तथा घटना के समय प्रबंधक के पद पर कार्यरत था जबकि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति का जमानत स्वीकार किया गया है, वह भृत्य के पद पर पदस्थ रहा है। अतएव इस आवेदक/ अभियुक्त को समानता का सिद्धांत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रकट नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में मिस मैच संबंधित तथ्य पर बल दिया गया है, परंतु वर्तमान में अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना पत्र में दिये गये विवरण से एवं उनके द्वारा कुछ रकम जमा किया जाना भी प्रकट है तथा पूर्व में भी आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत याचिका धारा 438 दप्रसं एवं एक अन्य सह अभियुक्त रामकिशोर ध्रुव का जमानत याचिका धारा 439 दप्रसं निरस्त किया जा चुका है। अतः डायरी के साथ संकलित साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित

प्रकट नहीं होता है, फलतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रसं निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधितों को भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–01. संबंधित थाना को संबंधित केसडायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित **02.** अपर लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0